तारीख हुक्म	न्यायाधीश–सेशन न्यायाधीश, सीकर सेशन प्रकरण संख्या– 318/2023 उनवानी राजस्थान राज्य बनाम फैयाज अली	नम्बर व तारीख अहकाम ज इस हुक्म की तामील म जारी हुए
11.06.2026	1. श्री सांवरमल बिजारणियां, लोक अभियोजक उपस्थित। अभियुक्त फैयाज अली अनुपस्थित की हाजरी माफी प्रार्थना पत्र जरिये अधिवक्ता श्री मुकेश कुमार सैनी पेश हुआ जो आज के लिए स्वीकार किया जाता है। 2. साक्ष्य अभियोजन में गवाह संख्या 18 व 19 के जमानती वारण्ट अदम तामील प्राप्त हुए है। विशिष्ट लोक अभियोजक ने गवाह संख्या 7, 8, 13 को तर्क किया। 3. साक्ष्य अभियोजन में गवाह संख्या 11 धर्मेन्द्र व गवाह संख्या 19 पवन कुमार को जरिये जमानती वारण्ट राशि तीन हजार रूपये से दिनांक 13.06.2026 हेतु तथा गवाह संख्या 16 जयप्रकाश व गवाह संख्या 18 विक्रांत शर्मा को जरिये जमानती वारण्ट राशि तीन हजार रूपये से दिनांक 15.06.2026 हेतु तलब किया जावे। गवाहान के जमानती वारण्ट की प्रति पुलिस अधीक्षक को भेजकर लिखा जावे कि प्रकरण माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार टारगेट प्रकरण है। अतः गवाहान के जमानती वारण्ट की तामील विशेष वाहक से करवाई जाकर गवाहान को निर्देशित किया जावे कि वे आवश्यक रूप से साक्ष्य हेतु न्यायालय में उपस्थित होवे एवं राजकार्य में व्यस्त होने की सूचना नही भिजवाए। विशिष्ट लोक अभियोजक को भी निर्देश है कि वे उक्त गवाहान को अपने स्तर पर प्रस्तुत करने का प्रयास करे। 4. पत्रावली साक्ष्य अभियोजन हेतु सर्वप्रथम दिनांक 13.06.2026 को पेश हो। 11.6.26 सेशन न्यायाधीश, सीकर	D.No. 1015 11-6-26